वर्ष: 03 अंक: 06

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - जनवरी - 2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्ष: 03 अंक: 06

जनवरी 2024

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

National Commission for Scheduled Castes

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

गत जनवरी माह में हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस साल यानी 2024 में देश ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया।

आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 28 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 29वां अंक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) के निर्देशानुसार आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को इस अंक में संकलित किया गया है।

इस अंक में आयोग के कोलकाता और मुंबई स्थित नए राज्य कार्यालय उदघाटन, आयोग द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षणों, विभिन्न संस्थानों की समीक्षा बैठक, आयोग मुख्यालय व राज्य कार्यालयों में की गई जनसुनवाई, आयोग की आतंरिक बैठक समेत देश भर के कई बड़े मामलों को शामिल किया गया है।

जनवरी माह में आयोग मुख्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर पर उन्हें दी गई पुष्पांजलि को भी इस अंक में शामिल किया गया है। आशा है कि मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहेगा।

धन्यवाद

(संपादक)

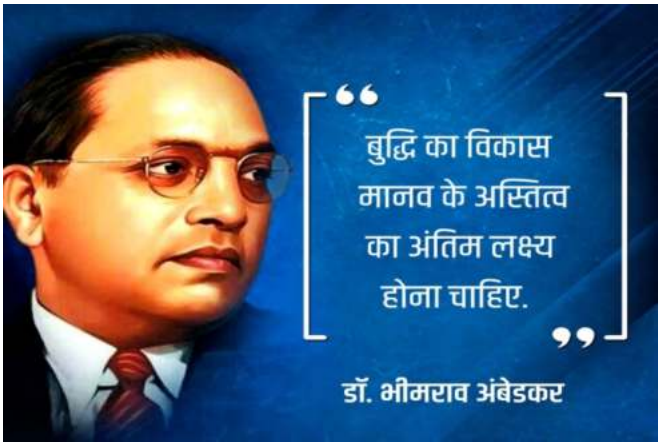

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

Koo
@NCSC

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) का संदेश

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

आप सभी को नए साल व गणतंत्र दिवस की बधाई। बीते माह ही देश ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस साल देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम (1935) के स्थान पर हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के जनक डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने इसे बनाकर ये बोध कराया कि अब हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी, 1950 के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहब ने संविधान को 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था।

जनवरी माह में आयोग के कोलकाता व मुंबई राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिल सकेगा। बीते माह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हुए आयोग मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एचएएल जैसी संस्थानों की समीक्षा भी की गई। इन समीक्षा बैठकों में आयोग ने संबंधित संस्थानों के अधिकारियों से यह जानकारी ली कि किस प्रकार इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।

जनवरी माह में ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक से मिली जानकारी के बाद बिहार, पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने स्थलीय निरीक्षण किया। जहां पर गांव से महादलित समुदाय की दो नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थी। अगले दिन गांव के पास ही एक खेत में लावारिस हालत में एक लड़की बदहवास अवस्था में मिली, जबकि एक का शव वहीं से बरामद किया गया था। जख्मी हालत में मिली लड़की को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। इस पर आयोग ने सख्ती दिखाते हुए सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्थापित करना बाबा साहब का सर्वोपरि लक्ष्य था। उन्होंने भारतीय संविधान की आधारशिला रखते हुए एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र की परिकल्पना की जिसे साकार करना होगा। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। यह आपके सहयोग से ही संभव हो सकेगा।

आपका सहयोग हमें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपसे आगे भी ऐसी ही सकारात्मक सहयोग की आशा रहेगी।

जय हिंद !
सादर धन्यवाद

अरूण हालदार

अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

@arunhalderncsc

समीक्षा बैठक

आयोग ने की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल जनवरी माह में मुंबई के आधिकारिक दौरे पर पहुंचा। आयोग के इस दल का नेतृत्व माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने की। यहां पर आयोग ने वित्त मंत्रालय के अधीन वाले संस्थानों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी शामिल रहीं। मुंबई में आयोजित इस समीक्षा बैठक में आयोग ने म्हाडा, भारतीय स्टेट बैंक और पावरग्रिड की समीक्षाएं की।

संबंधित संस्थानों के अधिकारियों से यह जानकारी ली कि किस प्रकार इस संस्था में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस समीक्षा बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित संस्थानों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

आयोग के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन

जनवरी माह में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दो नए राज्य कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। इन दोनों नए राज्य कार्यालयों का उद्घाटन आयोग के माननीय अध्यक्ष (प्रभारी) श्री अरुण हालदर ने की। नया राज्य कार्यालय कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के 7वीं मंजिल पर बनाया गया है।

यहां पर पश्चिम बंगाल, ओडीसा, सिक्किम व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस नए राज्य कार्यालय में पर्याप्त जगह है जो प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी और याचिकाकर्ताओं के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान करेगी। इससे पहले वाले कार्यालय में जगह की कमी थी।

वहीं दूसरा राज्य कार्यालय मुंबई के चर्च गेट स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में निष्ठा भवन में चौथी मंजिल पर खुला है। यहां से महाराष्ट्र व गोवा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की शिकायतों का निवारण हो सकेगा। इससे पहले यह यह राज्य कार्यालय महाराष्ट्र के पुणे में था। लेकिन इसके मुंबई में होने से लोगों को काफी सहुलियत होगी। इस मौके पर माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, आयोग ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बिहार के पटना स्थित फुलवारी शरीफ में दो बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बेहद गंभीर विषय माना। घटना पर आयोग के एक दल ने राज्य का दौरा कर मामले की विस्तृत जानकारी ली।

दल की अगुवाई आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। उन्होंने पीड़िता के घर पहुंचकर परिवारजनों से घटना की जानकारी प्राप्त की तथा पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। माननीय सदस्या ने घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव से महादलित समुदाय की दो नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थी। अगले दिन गांव के पास ही एक खेत में लावारिस हालत में एक लड़की बदहवास अवस्था में मिली, जबकि एक का शव वहीं से बरामद किया गया था। जख्मी हालत में मिली लड़की को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया था।

“आयोग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की समीक्षा की

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय अध्यक्ष (प्रभारित) श्री अरूण हालदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता की समीक्षा की गई।

इस समीक्षा बैठक में प्राधिकरण में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं।

साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस समीक्षा बैठक में आयोग के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और एससी-एसटी एंम्प्लाएज एसोसियशन के सदस्य भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े कई मामलों पर चर्चा हुई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने जनवरी माह में महाराष्ट्र राज्य का आधिकारिक दौरा किया। इसकी अगुवाई माननीय अध्यक्ष (प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने की। इस दल में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी मौजूद रहीं। इस दल ने इंडियन ऑयल व भारत पेट्रोलियम की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में इंडियन ऑयल व भारत पेट्रोलियम में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।

आयोग ने नेताजी को की पुष्पांजलि अर्पित

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने नेताजी को पुष्प अर्पित की। इस दौरान आयोग की डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर, उपसचिव बनमाली नायक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि साल 2021 से नेताजी के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विविध

HAL की आयोग ने की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने महाराष्ट्र राज्य के नासिक में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के साथ-साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

राज्य कार्यालय में लंबित फाइलों को निपटाया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने राष्ट्रीय अनुससूचित जाति आयोग के हैदराबाद स्थित राज्य कार्यालय में लंबित फाइलों को निपटाया। साथ ही राज्य कार्यालय पहुंचे लोगों की शिकायतें सुन, समाधान के लिए निर्देशित किया।

खबरों में आयोग

कुमार अनिल कुमार, मनोज कुमार साहु समेत अन्य संगत की सेवा की.

रेप व हत्या के आरोपी का होगा डीएनए टेस्ट

- फुलवारी थानाध्यक्ष को हटा कर ट्रेनी डीएसपी को बनाया गया केस का नया अनुसंधानकर्ता

संवाददाता, पटना

फुलवारीशरीफ में दो महादलित नाबालिग के साथ रेप व एक की हत्या मामले के आरोपी देवानंद राय उर्फ भोकलू राय का डीएनए टेस्ट कराया जायेगा. कोर्ट ने पुलिस को अनुमति दे दी है. पुलिस पटना सिविल सर्जन को डीएनए टेस्ट कराने के लिए पत्र भेज दिया है. संभावना यह जतायी जा रही है कि दो दिनों के अंदर जेल में बंद आरोपी देवानंद का डीएनए टेस्ट करा दिया जायेगा. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि उसे सजा दिलायी जा सके. उसके डीएनए की जांच रिपोर्ट का नाबालिगों के शरीर व कपड़े पर मिले नमूने से मिलान कराया जायेगा. इधर, इस केस के अनुसंधानकर्ता फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफीर आलम को एसएसपी राजीव मिश्रा ने हटा दिया है और नयी अनुसंधानकर्ता ट्रेनी महिला डीएसपी डॉ अनु को बनाया गया है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम रेप पीड़ित दोनों बच्चियों के परिजनों से मिली

फुलवारीशरीफ. महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जायेगा. इसके अलावा मंगलवार को ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम फुलवारी में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हे न्याय का भरोसा दिया. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने आयोग की टीम को बताया है की स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपी को फांसी दिलाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है. इसके लिए गिरफ्तार आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की योजना बनायी गयी है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी देवानंद राय उर्फ भोकलू के डीएनए टेस्ट का मिलन पीड़ित बच्चियों के शरीर से पाये गये आर्गन से कराया जायेगा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली से आयोग की मेंबर डॉक्टर अंजु बाला के नेतृत्व में एक टीम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे थी. मृत बच्ची व घायल परिवार के लोगों को भरोसा दिला गया है की सरकार के नियम अनुसार उन्हे हर संभव सहायता दिलायी जायेगी. टीम के लोग पटना एम्स जाकर घायल बच्ची और उसके परिवार वालो से बातचीत भी की.

अनछुए पहलुओं की होनी चाहिए जांच : विश्वजीत

पटना. फुलवारी में घटी घटना के कई अनछुए पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए. केवल एक व्यक्ति द्वारा दो बच्चियों को उठाना व दुष्कर्म की बात अविश्वसनीय है. वहीं, घोषित मुआवजा नाकाफी है. ये बातें मंगलवार को जनशक्ति भवन में प्रेस कांफ्रेंस के भाकपा पटना जिला सचिव विश्वजीत कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए गयी टीम ने पुलिस के शोध पर सवाल उठाया और कहा कि एक व्यक्ति दो बच्चियों को कैसे उठायेगा और दुष्कर्म करेगा. इस पर गंभीर जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि घटना केंद्र सरकार के उज्ज्वला व पीएम शौचालय योजना का भी पोल खोलती है. मौके पर जांच दल में शामिल दलित अधिकार आंदोलन के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विनोद कुमार दास, फुलवारी अंचल सचिव राजकुमार, कामरेड मुन्ना, जितेंद्र प्रसाद, बनवारी मांझी, कृष्णा देवी, रिंकु देवी, कुणाल राम, डॉ सत्यजीत पासवान, डा. रामजतन पंडित रहे.

तो शौचालय है न आंगनबाड़ी

आयोग की सदस्या ने कहा कि इस अपराधी ने छह माह पहले भी ढाई साल की एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया. उस मामले में एफआइआर किया जाये. साथ ही, दोनों बच्चियों की उम्र गलत है. जो बच्ची भर्ती है. उसकी उम्र आठ साल है. मृत बच्ची की उम्र 10 साल है. जिस गांव की घटना है. उस गांव में शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी बुरा हाल है. इसकी भी जांच होनी चाहिए. जांच में यह भी मालूम हुआ है कि इस गांव से बच्चियां अचानक से एक–दो दिनों के लिए गायब हो जाती है. बाद में खुद वापस लौट आती हैं. लेकिन इस मामले में फुलवारी पुलिस कभी संज्ञान नहीं लेती है. दोनों

Fulwari Rape : राष्ट्रीय आयोग की सदस्य ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, पूछा- दो बच्चियों से एक ने कैसे किया रेप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Wed, 17 Jan 2024 04:09 PM IST

सार

2434 Followers | पटन

Bihar : सरकार का पुलिस पर नियंत्रण नहीं है। पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। अगर सम रहते पुलिस अपनी कार्रवाई सही ढंग से की होती तो फुलवारी शरीफ में दो नाबालिग लड़कियों वे साथ जो घटना हुई वह न हुई होती।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ. अंजू बाला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Follow Us

फुलवारी शरीफ में दो लड़कियों के साथ हुए रेप की घटना को 'अमर उजाला' ने प्रमुखता से प्रक किया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक नहीं बल्कि से अधिक लोग हैं। लेकिन पटना पुलिस यही कहती रही कि इस घटना में आरोपी सिर्फ एक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ. अंजू बाला भी यही कह रही हैं कि आरोपी एक बल्कि एक से अधिक हैं। उन्होंने बिहार सरकार और सरकार के पुलिस पर हमला करते हुए कह सरकार का पुलिस पर नियंत्रण नहीं है। पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। अगर समय रहते प

'Scheduled Castes panel focused on guarding rights of the community' : Arun Halder

Arun Halder was speaking during a function organised at the Press Club in Kolkata.

There is a need to extend help to those deprived of constitutional rights," said Halder. He said people should take advantage of the Commission by lodging grievances.

National Commission for Scheduled Castes chairman (in charge), Arun Halder, Saturday said that the commission was focused on discussing measures and initiatives aimed at safeguarding the constitutional rights of the Scheduled Caste community.

Halder was speaking during a function organised at the Press Club in Kolkata.

He also shed light on constitutional provisions that safeguard these rights and emphasized the "crucial role" played by the National Commission for Scheduled Castes in this regard. "I request the state government to support the National Commission for Scheduled Castes to help people.

There is a need to extend help to those deprived of constitutional rights," said Halder. He said people should take advantage of the Commission by lodging grievances.

बिना आयोग के जगाए सरकार नहीं जागती : अंजु बाला

डॉ. अंजु बाला

प्रीति

पटना (एसएनबी)। फुलवारी शरीफ में दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग एक्शन में हैं। दोनों आयोग ने घटना स्थल पर पहुंच पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान आयोग ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग की सदस्य डॉ. अंजु बाला ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस मामले में बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में बिना आयोग के जगाए सरकार नहीं जागती। इसलिए हमलोग यहां आते हैं। बिहार और यूपी में बहुत बड़ा फर्क यही है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आयोग गैर बीजेपी शासित राज्यों में एक्शन में दिखती है। इसके जवाब में अंजू बाला ने कहा कि हम सरकार नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश में घटनाएं होतीं हैं तो हम वहां भी जाते हैं।

इधर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसी मामले में एक अन्य एफआईआर दर्ज कराने को और एक अतिरिक्त एसआईटी गठन करने को कहा है। आयोग की सदस्य प्रीति दलाल ने गांव में पहुंच कर मामले की जांच की। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एम्स में दूसरी पीड़िता से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। एक और एफआईआर होगी। सर्वाइवर की उम्र मात्र आठ साल है। उसकी उम्र ज्यादा बताई जा रही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदर ने माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदर ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली-110003